2

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क्रमांक

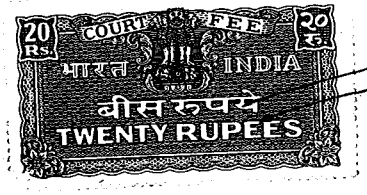

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 20/-

542
9.9.14

R - 3303 - II/14

1. भीषमलाल लोध तनय श्री नर्वदा लोध
2. मिठाईलाल लोध तनय श्री नर्वदा लोध दोनों निवासी ग्राम टीकर तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र.——————————निगराकार/आवेदकगण

बनाम

छोटेलाल राव तनय हनुमान राव निवासी ग्राम टीकर तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र.——————————गैर निगराकार/अनावेदक

श्री महेन्द्र भोगाद्धे श्री द्वारा आज दि. 09.09.14 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

30HH

19-9-14

निगरानी विरूद्ध सीमांकन आदेश, राजस्व निरीक्षक वृत्त धारकुण्डी तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र. राजस्व प्रकरण क्र0 10 अ 12/2013-14 आदेश दिनांक 13.07.2014 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

उपरोक्त सन्दर्भ में आवेदकगण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण/निगराकार व अनावेदक/गैरनिगराकार सरहद्दी काश्तकार है। अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त धारकुण्डी के समक्ष धारा 129 म.प्र.भू.रा.संहिता के तहत अपने भूमि स्वामी स्वत्व की आराजी नं. 107 रकवा 0.752 हे. वाके मौजा टीकर तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र. के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना आवेदक को सूचना दिये चोरी छिपे दिनांक 02.07.2014 को सीमांकन किया गया। गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा जानकारी देने पर मालूम हुआ कि राजस्व निरीक्षक अनावेदक को

क्रमशः....2

भीषमलाल

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3303/II/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-9-15	प्रकरण मे आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र अग्निहोत्री उपस्थित। प्रकरण मे ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। अभि० द्वारा बताया गया कि आवेदक एवं अनावेदक सरहदी काश्तकार है अना० द्वारा अपने भूमि स्वामित्व के सर्वे क्र० [illegible] के सीमांकन का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवेदक को बिना सूचना दिये रा०नि० द्वारा दिनांक 2-7-14 को एक पक्षीय सीमांकन कर दिया गया। उक्त सीमांकन के संबंध मे जानकारी होने पर रा०नि० के समक्ष आपत्ति पेश की गई किन्तु आपत्ति को बिना पर्याप्त कारण दर्शाये दिनांक 13-7-14 को निरस्त कर दिया गया तथा सीमांकन कार्यवाही को प्रमाणित कर दिया गया ऐसी स्थिति मे न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत की गई सीमांकन कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन करते हुए निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त निगरानी मेमो मे अंकित तथ्यो को भी व्यक्त किया गया जिन्हे पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु विचार मे लिया जावेगा। आवेदक अभि० के तर्कों के समर्थन मे मेरे द्वारा राजस्व निरीक्षक की सीमांकन	

R.3303/II/14 सीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से आवेदक अधि०के वकील को बल मिलता है। सीमांत कृषकों को जो सूचना जारी की गई है उसमें आवेदक क्रमांक 1 का नाम नहीं है वहीं आवेदक क्र.2 के सूचना के हस्ताक्षर नहीं है वहीं पंचनामा में भी हस्ताक्षर नहीं है ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक की कार्यवाही विधि विरुद्ध प्रतीत होती है जो निरस्ती योग्य होने से सीमांकन कार्यवाही का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 13.7.14 निरस्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि सीमांकन के संबंध में संहिता की धारा 129 में वर्णित प्रावधानों के अनुकरण में समस्त हितबद्ध पक्षकारों एवं सीमांत कृषकों को यथाविधि सूचना पत्र जारी कर उनके समक्ष नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप तीन माह में विधि सम्मत एवं नीतिगत रूप से सीमांकन की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण करें तथा पूर्व में किये गये सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 2.7.14 को भी स्थगित किया जाता है। निर्धारित समयावधि में सीमांकन की कार्यवाही उक्त निर्देशानुसार पूर्ण करें। उक्त निर्देश के साथ निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है पक्षकार सूचित हों।	
	(हस्ताक्षर) सदस्य	